(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — श्री दिनेश कुमार मीणा आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 98 / 2024 दायर दिनांक 14.08.2024

उनवान

1. भैरुसिंह पिता धीरालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर तहसील पिड़ावा

— वादी

बनाम

1. लालसिंह पिता धीरालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर तहसील पिड़ावा
2. गोवर्धन सिसोदिया पिता बाबुलाल सिसोदिया जाति सौंधिया नि. निपानिया तहसील सुसनेर जिला आगर म.प्र.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा .

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक—

अभिभाषक वादी — श्री रमीज रजा कुरेशी

प्रतिवादी सं. 1 से 2 — श्री कालूराम मेघवाल

निर्णय दिनांक 20.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम कराड़िया शेरपुर तहसील पिड़ावा के खाता सं. 179 के ख.नं. 161 रकबा 1.3405 है., ख.नं. 265 रकबा 1.8590 है., ख.नं. 267 रकबा 0.6323 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.8318 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बटवारा प्रस्ताव को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2025/454 दिनांक 24.07.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2025 अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम कराड़िया शेरपुर तहसील पिड़ावा के खाता सं. 179 के ख.नं. 161 रकबा 1.3405 है.. ख.नं. 265 रकबा 1.8590 है., ख.नं. 267 रकबा 0.6323 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.8318 है. भूमि में तहसीलदार पिडावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	भैरुसिह पिता घीसालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर	161 265 267	0.6703 0.9295 0.3161	बीड प्रथम बारानी दोयम बीड दोयम
		किता 3	1.9159	
2	लालसिंह पिता घीसालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर	161 265 267	0.6702 0.9295 0.3162	बीड प्रथम बारानी दोयम बीड दोयम
		किता 3	1.9159	

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 16:34:58 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(15)

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 98 / 2024 दायर दिनांक 14.08.2024

उनवान

1. भैरुसिंह पिता घीसालाल जाति राजपुत नि. कराडिया शेरपुर तहसील पिड़ावा

– वादी

बनाम

1. लालसिंह पिता घीसालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर तहसील पिडावा
2. गोवर्धन सिसोदिया पिता बाबुलाल सिसोदिया जाति सौंधिया नि. निपानिया तहसील सुसनेर जिला आगर म.प्र.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा .

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक–

अभिभाषक वादी – श्री रमीज रजा कुरेशी

प्रतिवादी सं. 1 से 2 – श्री कालूराम मेघवाल

मिनजानित मुदई रूबरू ....X.............................. मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दियां जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2025 अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम कराड़िया शेरपुर तहसील पिड़ावा के खाता सं. 179 [illegible] 161 रकबा 1.3405 है.. ख.नं. 265 रकबा 1.8590 है. ख.नं. 267 रकबा [illegible].6323 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.8318 है. भूमि में तहसीलदार पिड़ावा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	भैरुसिंह पिता धीसालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर	161 265 267	0.6703 0.9295 0.3161	वीड प्रथम बारानी दोयम वीड दोयम
		किता 3	1.9159	
2	लालसिंह पिता धीसालाल जाति राजपुत नि. कराड़िया शेरपुर	161 265 267	0.6702 0.9295 0.3162	वीड प्रथम बारानी दोयम वीड दोयम
		किता 3	1.9159	

तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

निज ....X.............मुबालिक ....X.............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशरह ......X............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी मीणा
पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

गुदई		गुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner